न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर (राज0)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

अपील सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 18	31.8.18	28.2.2022

उनवान

1. खैरूनिशा पुत्री जरीना
2. सुहेला पुत्री जरीना
3.जैबुना पुत्री जरीना
4.खुर्शीदन पुत्री जरीना
5. साहिना पुत्री जरीना
6.रूकसाना पुत्री जरीना पिता अब्दुल्ला
7. सोहेल पुत्र जरीना पिता अब्दुल्ला (निवासी व नवासे मृतक जुहरू) जाति मेवान निवासी अकबरपुर तहसील पुन्हानां जिला नुहु हरियाणा।
8. जैनम उर्फ चूहिया बैवा जुहरू जाति मेव निवासी बृसंगपुर (मैदाबास) तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

अपीलांटस

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाघोडा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. मैमुना बैवा जुहरू
3. इकबाल मोहम्मद
4. आरिफ मोहम्मद

5—वारिस मोहम्मद पुत्रान जुहरू

6—रूकसीना।

7— वारिसा पुत्रीयान जुहरू जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

रेस्पोडेंटस

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 06.08.2018 बाबत विरासत
इंतकाल सं0 2192 दिनांक 06.08.2018 मृतक जुहरू
पुत्र इनायत जाति मेव निवासी बृसंगपुर

उपस्थितिः—श्री रतिराम वकील अपी0 की ओर से
श्री सतीश शर्मा वकील रेस्पो0 2लाग0 7 की ओर से।

निर्णय

उज्ञात अपील के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास में जुहरू पुत्र इनायत जाति मेव निवासी बृसंगपुर की स्वअर्जित व पैत्रिक आराजीयात ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास में स्थित ख0न0 1583 रकबा 0.33हे0 का 1/2 भाग दर एक बीघा, 1671 रकबा 1.13 हे0 का 1/2 भाग दर 04 बीघा 07 बिस्वा, 1582 रकबा 0.22 हे0, 1588 रकबा 0.18हे0, 1660 रकबा 0.48 हे0, 1665 रकबा 0.67 हे0, 1666 रकबा 0.23 हे0 किता 05 रकबा 1.78 हे0 का 1/2 भाग , 1702 रकबा 0.09 हे0 का 1/2 भाग दर0 06 बिस्वा, 1570 रकबा 0.08 हे0, 1571 रकबा 0.11 हे0, 1572 रकबा 0.09 हे0, 1576 रकबा 0.11हे, 1577 रकबा/1899 रकबा 0.06 हे0 किता 05 रकबा 0.45 हे0 सालिम 1704 रकबा 0.34 हे0 का 1/2 भाग दर 14/27 मृतक जुहरू की खातेदारी की भूमि दर्ज जमाबंदी कायम है। मृतक जुहरू पुत्र इनायत मेव का देहान्त दिनांक 09.06.2014 ाक सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मृतक जुहरू के दो पत्निया थी मैमूना व जैनम उर्फ चूहियां आज दिन मौजूद है तथा तीन पुत्रीया रूकसीना, वारिसा ,व जरीना पैदा हुइ, जो तीनो शादीशुद्वा है। जिनमें से जरीना की मृत्यु उसकी ससुराल ग्राम अकबरपुर में दिनांक 22.3.2016 को हो चुकी है।अपीलान्टस 1 लगा0 7 मृतका जरीना के पुत्र व पुत्रीया है। वसीयतनामा दिनांक 20.11.2012 को अलवर जाकर लिखाया बताया है वह फर्जी वो नुमाईशी है। मृतक जुहरू अपने जीवन काल में कोई वसीयत नामा तकमील नही कराया। कानूनी वारिस है। मृतका जरीना अपीलांटस 1 लगा0 7 की प्राकृतिक माता थी तथा मृतक जहरू अपीलांटस 1 लगा0 7 का सगा नाना था । अपीलांट सं0 7 मृतक जुहरू की बैवा पत्नी है जो आज दिन जीवित है। अपीलांटस ने दिनांक 02.07.2018 को माननीय तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष विरासत इंतकाल दर्ज व मंजूर कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र मृतक जुहरू की बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का बृसंगपुर से वारिसान की रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा बाद जांच जरीना पुत्री जुहरू का उसके ससुराल में फौत होना बतलाते हुए रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा कमांक एलआर/18/1462 दिनांक 02.07.2018 को तहसीलदार पुन्हानां से मृतका जरीना पुत्री जुहरू पत्नी अब्दुला के वारिसान की जांच रिपोर्ट तलब की ओर जाचं रिपोर्ट नायब तहसीलदार पुन्हारना द्वारा विस्तत रूप से करते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

हुए अपनी रिपार्ट कमांक 583 दिनांक 16.7.2018 को तहसीलदार किशनगडढबास के यहा भिजवाई जिस पर हल्का पटवारी बृसंगपुर द्वारा इंतकाल विरसात सं0 1323 दिनांक 1.08. 2018 को समस्त वारिसान के नाम दर्ज किया ओर इसी रिपोर्ट के आधारा पर पटवारी हल्का बाघोडा द्वारा भी इंतकाल सं0 2192 दिनांक 1.8.2018 को समस्त वारिसान के नाम दर्ज किया । जिसे ग्राम पंचायंत बाघोडा द्वारा दिनांक 6.8.18 को मनमाने तरीके से राजनैतिक दबाब में आकर खारिज कर दिया जिसके विरूद्व मौजूदा अपील दायर की गई जा रही है। ग्राम बृसंगपुर के इंतकाल स0 1323 की अपील भी अलग से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। मिन अपीलांटस 1 लगा0 8 व रेस्पो0 सं0 2 लाग0 7 मृतक जुहरू पुत्र इनायत के विधिक व कानूनी वारिसान है। जिनका कि पैत्रिक आराजीयात ग्राम बाघोडा में मुताबिक सजरा के समान भाग हक हिस्सा कायम है। इसलिए अपीलांटस के नाम नामान्तकारण विरासत मृतक कराया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांटस प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय रेस्पोडेंट सं0 1 बाबात विरासत इन्तकाल सं0 2192 दिनांक 03.08.18 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 2 लगा07 के नाम मुताबिक सजरा दर्ज इंतकाल नं0 2192 के अनुसार विरासत दर्ज वो स्वीकार करायें जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत बाघोडा बावजुद सूचना उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष रेस्पोडेन्ट उपस्थित हुए । वकील रेस्पोडेटं ने जवाब पेश ना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि मृतक जुहरू ने दिनांक 22.11.12 को दस्तावेज वसीयतनाम रेस्पो0 के पक्ष में किया है जिसमें मृतक जुहरू ने अपने वारिसो में दो पुत्रीया व तीन पुत्रो का होना बताया है। एवं वसीयत में यह भी अंकित किया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कब्जा काश्त आराजी के खातेदार काश्तकार मेरे तीनो पुत्रान इकबाल मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद व बारिस मोहम्मद बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार होगें तथा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपरोक्त वसीयत में अपीलांटस की माता की भी सहमती है। उपरोक्त वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

वकील पक्षकारन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न इंतकाल सं0 दिनांक 6.8.18 में अंकित किया गया है कि ग्रामवासी व वार्ड पंचो द्वारा भी मृतक जुहरू के दो पुत्री व तीन पुत्र होना स्वीकार किया है चूंकि मृतक जुहरू ने वसीयत नामा0 दिनांक 22.11.12 में भी अपने वारिसान की संख्या में तीन पुत्र व दो पुत्रीया बताई है। अपीलांट द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजात पेश नही किया जिससे पता चले की मृतक जरीना रेस्पोडेंट की बेटी व बहन हो। ना ही अपीलांटा ने कोई दस्तावेज मृतक जरिना के वारिसान होने बाबत पेश किया। लेकिन तहसीलदार पुन्हाना ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.7.18 में अपीलांट को मृतक जुहरू के वारिसान बताया है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 6.8.18 खारिज कर पुनः वारिसान की जांच एवं दस्तावेजात की जांच कर निर्णय करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बाघोडा का निर्णय दिनांक 06.08.2018 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढबास को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाडं किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (वसीयतनाम दि0 22.11.12 या अन्य कोई साक्ष्य) एवं वारिसान के सम्बध में जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित कर नामांतकरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)